कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/सीएसआर/61016/दिशा–निर्देश/2018 /300 दिनांक – 20.06.2022

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।

विषय :– जनसहभागिता के माध्यम से जनउपयोगी कार्य हेतु माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापन के संबंध में।

प्रसंग :– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प.4(14)शिक्षा–1/2015 पार्ट जयपुर दिनांक 14.06.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि जनसहभागिता के माध्यम से जनउपयोगी कार्य हेतु माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापन के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग का आदेश क्रमांक – प.2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 07.06.2022 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए है।

प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है प्रदत्त निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का जिलें में प्रचार–प्रसार करते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/सीएसआर/61016/दिशा–निर्देश/2018 /300 दिनांक – 20.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
02. विशिष्ठ सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
04. निजी सचिव, राज्य परियोजना परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
05. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक प.4(14)शिक्षा–1/2015 पार्ट जयपुर दिनांक 14.06.2022 के क्रम में।
06. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त – मण्डल।
07. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

PS/mail/782/22
16/6/22

DD(sec.) / CSR 295
16/6/22

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 4(14)शिक्षा–1/2015 पार्ट जयपुर, दिनांक : 14.06.2022

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषयः– जनसहभागिता के माध्यम से जनउपयोगी कार्य हेतु माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापन के संबंध में जारी दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग का आदेश क्रमांक : प. 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 07.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार जनसहभागिता के माध्यम से जनउपयोगी कार्य हेतु माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव–प्रथम

Rajasthan Education Department

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, मीड डे मील, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर।
8. निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
9. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
10. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
11. सचिव, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप –2) विभाग, जयपुर।
13. वरिष्ठ/शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/ग्रुप–5/ग्रुप–6/प्रा.शि. एवं प्रा. शि. आयोजना)।
14. रक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार मौर्य)
उप निदेशक (मु.)

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक : प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक: 07 JUN 2022

आदेश

विषय : जनसहभागिता के माध्यम से जनउपयोगी कार्य हेतु माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जनसहभागिता के माध्यम से जनउपयोगी कार्य हेतु माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापनों के बाबत् इस विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 2 (1) वित्त/जीएण्डटी– एसपीएफसी/2017 दिनांक 11.05.2022 जारी की गयी है। तत्संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

1. सर्वप्रथम संबंधित भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ द्वारा संपादित किये जाने वाले जनउपयोगी कार्य का सम्पूर्ण प्रस्ताव संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जावेगा।
2. विभिन्न विभागों द्वारा इस उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपापन समिति गठित की जावेगी।
3. संबंधित संस्था प्रधान के स्तर पर इस संबंध में किये जाने वाले उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित उपापन समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का समग्र परीक्षण किया जावेगा।
4. विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत कार्य की लागत, ड्राईंग एवं डिजाइन का अनुमोदन किया जावेगा। तत्पश्चात् अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्तावित कार्य के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली राशि के बाबत् आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक, वित्तीय एवं संकर्मों (Works) की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुक्रम में अपने विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।
5. प्रकरण के परीक्षणोपरांत प्रस्तावित कार्य के संबंध में राज्य सरकार द्वारा वहन योग्य राशि संबंधित संस्था प्रधान को उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक, वित्तीय एवं संकर्मों (Works) की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुक्रम में जारी की जावेगी।
6. प्रशासनिक, वित्तीय एवं संकर्मों (Works) की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् अनुमोदित ड्राईंग एवं डिजाइन के अनुसार कार्य का संपादन चयनित भामाशाह/ ट्रस्ट/ सोसायटी/एनजीओ द्वारा स्वयं के स्तर पर संपादित कराया जाएगा। संपादित कार्य का यथासमय निरीक्षण विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जा सकेगा।
7. भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ के द्वारा सर्वप्रथम कुल परियोजना लागत के स्वयं के हिस्से (उदाहरणार्थ 60 प्रतिशत) की 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत) राशि व्यय की जावेगी तथा तत्संबंधी रिपोर्ट संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत की जावेगी। विभाग के द्वारा गठित समिति भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ के द्वारा कराये गये कार्य/ सेवाओं/माल की जांच एवं मूल्यांकन कर विभाग को प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय (उदाहरण के अनुसार 40 प्रतिशत) कुल अंशदान की 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत) राशि आवंटन की संस्था प्रधान को अभिशंषा करेगी। तदुपरांत संस्था प्रधान द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर वहन किये जाने वाले कुल अंशदान की शेष 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत) राशि आवंटित की जावेगी।

IMMEDIATE

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail : jsfgt@rajasthan.gov.in
D:Notification

297

38

भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ के द्वारा स्वयं के हिस्से की शेष 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत) राशि व्यय करने के बाद तत्संबंधी रिपोर्ट संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत की जावेगी। संस्था प्रधान के द्वारा गठित समिति भामाशाह/ट्रस्ट/ सोसायटी/एनजीओ के द्वारा कराये गये कार्य/सेवाओं/माल की जांच एवं मूल्यांकन कर संस्था प्रधान को शेष 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत) राशि आवंटन की अभिशंषा करेगी। तदुपरांत राज्य सरकार के स्तर पर वहन किये जाने वाले कुल अंशदान की शेष 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत) राशि आवंटित की जावेगी।

8. योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. विभिन्न विभागों द्वारा उक्त कार्य के लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/निरीक्षण विभाग/चार्टर्ड अकाउंटेंट से विभागीय नियमानुसार करवाया जावेगा।

10. राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा करवाये गये कार्य का किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा।

11. इस योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार को निहित होगा एवं उनका बेचान एवं हस्तानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकेगा।

12. जनसहभागिता से निर्मित परिसम्पत्तियों का निजी उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा।

13. उपापन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आगामी स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान को निरस्त किया जा सकेगा। साथ ही पूर्व में स्वीकृत अनुदान की संबंधित संस्था से वसूली की जा सकेगी।

14. इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
9. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान महालेखाकार, ऑडिट, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव को अपने अधीनस्थ सचिवालय के समस्त अनुभागों/विभागों को उक्त आदेश की पालना किये जाने के लिए निर्देशित करने हेतु।
12. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को अपने अधीनस्थ विभागों को उक्त आदेश की पालना किये जाने के लिए निर्देशित करने हेतु।
13. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान।
16. समस्त कोषाधिकारी।
17. तकनीकी निदेशक वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

वैशाख 21, बुधवार, शाके 1944-मई 11, 2022

Vaisakha 21, Wednesday, Saka 1944- May 11, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, May 11, 2022

G.S.R.16.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central Government and the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government or the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing bids individually hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

Rajasthan Education Department

सत्यमेव जयते

AMENDMENT

In table of the said notification, after the existing serial number 60 and entries thereto, the following new serial number 61 and entries thereto shall be added, namely:-

"

61.	Procurement of Goods or Works or Services for the purpose of Public Utility in form of Public	Any Bhamashah/ Trust/Society/ NGO	1. The estimated value of procurement of Goods/ Works/Services shall not be less than Rs. 20 Lakhs. 2. The contribution of such Bhamashah/Trust/Society/NGO in goods/works/services should be 50% or more of the estimated value of

	Participation		procurement. 3. Remaining share shall be borne by the State Government. 4. Detailed guidelines in this regard shall be issued by the Finance Department separately.

[No. F.2 (1)FD/G&T-SPFC/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,

Joint Secretary to the Government.

Rajasthan Education Department

Government Central Press, Jaipur.

सत्यमेव जयते